5/4/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की मामले में बहस सुनी गई। उनके तर्क एवं दलीलों पर मनन किया।
अपीलांट वकील का कथन है कि रेस्पोंडेंट सं० 1 से 4 (4/1 से 4/3) मृतक केसरा की पुत्रियां नहीं हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका हक तय किया वह सही नहीं है। इस संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य आदि वह प्रस्तुत नहीं कर पाये। वादिनी केसरा (मृतक) की पुत्रवधु है जो ऐसा कथन करने के लिए कोई आधार नहीं रखती अतः उनके सभी भाई उपस्थित होकर इस तथ्य को स्वीकारते हैं। वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच यह तथ्य पाया कि रेस्पो. सं. 1 से 4 मृतक केसरा की जाईदा पुत्रियां हैं जिनमें से एक फूली फोत हो गई है। इसलिए मृतक केसरा की पैतृक संपत्ति में वे भी अपने भाईयों एवं अपीलांट भाभी के साथ हकदार हैं लिहाजा उन्हें सहखातेदार घोषित किया है जो विधि सम्मत निर्णय है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड नामां. सं० 195 के आधार पर यह बखूबी निर्धारित किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय के मय कोर्ट फासला करने के दौरान मजमे-आम में ली गई जानकारी से इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि उनके सगे भाईयों के द्वारा वादीनीगण को अपनी बहिनें माना जो सत्य है। वादिनीगण (रेस्पोंडेंट सं. 1 से 4) मृतक केसरा की पुत्रियां होने से पैतृक संपत्ति में हकदार हैं जिन्हें उनके चारों भाईयों (शंकर की मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नी अपीलांट कमला) के साथ विवादग्रस्त भूमि में सहखातेदार घोषित किया है जो विधि सम्मत है। इस अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार से दखल की कोई गुंजाईश नहीं है लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन एवं तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेखागार हो, दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner